राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

जयपुर, दिनांकः– 27-09-2019

क्रमांकः– प.17(4)परि/2019

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट पर प्रत्युतर के दौरान माननीय मुख्यमंत्री वित्त, महोदय द्वारा की गई घोषणा संख्या 271 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये बजट घोषणा में अंकित वाक्यांश "वर्ष 2019–20 में भी रोडवेज को प्रतिमाह राशि रू. 20.00 करोड़ का अनुदान एवं रू 25.00 करोड़ आरटीआईडीएफ फण्ड से उपलब्ध करवाया जायेगा" के स्थान पर वाक्यांश "वर्ष 2019–20 में भी रोडवेज को प्रतिमाह राशि रू. 25.00 करोड़ का अनुदान एवं रू. 20.00 करोड़ आरटीआईडीएफ फण्ड से उपलब्ध करवाया जायेगा" प्रतिस्थापित करने की सहमति प्रदान करते हुये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान से संबंधित निम्न बजट मद में राशि 10000.00 लाख रू. के अतिरिक्त बजट प्रावधान की प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 10000.00 लाख निम्नानुसार लेखाशीर्ष से अंतरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(राशि लाखों रूपये में)

मांग संख्या–12 लेखाशीर्ष 3055–00–190–(08)–[00]–12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)	10000.00
	10000.00
भुगतान योग्य राशि	

(अक्षरे सौ करोड़ रूपये मात्र)

नोटः– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि राशि अंतरण करने के आगामी प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101902529 दिनांक 12.06.2019 में दी गई राय के अनुसार सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदित रोड़वेज में सुधार के लिये विस्तृत कार्य योजना बजट घोषणा में अपेक्षितानुसार भिजवाई जाऐगी।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी.संख्या 101903643 दिनांक 26.09.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०/-
(पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांकः– 27-09-2019

क्रमांकः– प.17(4)परि/2019

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त(बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराऐं।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।
13. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, परिवहन विभाग, जयपुर

27/9/19

उप शासन सचिव, परिवहन

416

roadways letter

Scanned by CamScanner